जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः–जविप्रा/अ.आ/एल.पी.सी./17/डी– 253 दिनांकः– 21-3-17

कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 132वीं बैठक दिनांकः 14.03.2017 को प्रातः 11.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में "चिन्तन सभा कक्ष" में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ठ 'अ' पर संलग्न है। बैठक में विचार विमर्श पश्चात निम्नांकित निर्णय लिये गये :–

क्र. सं	जोन नं.	प्रस्ताव संख्या	विषय	निर्णय
1.		132:1	भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 131वीं बैठक दिनांक 21.02.17 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं बैठक 118वीं से 131वीं की पालना रिपोर्ट की समीक्षा बाबत।	भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 131वीं बैठक दिनांक 21.02.17 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई। बैठक संख्या 118 से 131 की पालना की समीक्षा की गई। आयुक्त महोदय द्वारा अवशेष अनुपालना रिपोर्ट पर संतोष जाहिर किया। अधिकांश प्रकरणों में पालना हो चुकी है, आयुक्त महोदय द्वारा निम्न प्रकरण में निर्देश प्रदान किये:– 1. प्रस्ताव संख्या 130:3:–मैसर्स अर्जुन कॉलोनाईजर के प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में अवमानना का प्रकरण होने से उपायुक्त को निर्देशित किया गया कि पत्रावली पूर्ण तथ्यों के साथ सचिव, जविप्रा के समक्ष अविलम्ब प्रस्तुत कर आवश्यक कार्यवाही करावें।
2.	2	132:2	मयूर ग्रुप हाउसिंग एवं सरगम ग्रुप हाउसिंग को विद्याधर नगर योजना में पूर्व में आवंटित भूखण्डों के बदले विनिमय में सेक्टर नम्बर–4 में 724.72 व.मी. के भूखण्ड आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–2 द्वारा मयूर ग्रुप हाउसिंग सोसायटी को विद्याधर नगर योजना में आवंटित भूखण्ड संख्या 7/2डी–1 क्षेत्रफल 724.725 व.मी. के विनिमय में भूखण्ड संख्या 4/एच/I/ए क्षेत्रफल 724.72 व.मी. एवं सरगम ग्रुप हाउसिंग सोसायटी को विद्याधर नगर योजना में आवंटित भूखण्ड संख्या 7/2डी–3 क्षेत्रफल 724.725 व.मी. के विनिमय में भूखण्ड संख्या 4/एच/I/बी क्षेत्रफल 724.72 व.मी. के आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। उपायुक्त ने बैठक के दौरान बताया कि प्रकरण में उक्त दोनों ग्रुप हाउसिंग सोसायटी को भूमि का कब्जा पत्र दिनांक 31.05.1991 को जारी किया गया है। उक्त भूखण्ड पूर्व में ए.डब्ल्यू.एच.ओ. को आवंटित होना बताया गया है। प्रकरण काफी पुराना है। वर्ष 2007 में अथॉरिटी की बैठक में उक्त सोसायटीज को अन्य भूखण्ड आवंटित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त भूखण्डों के बदले विद्याधर नगर सैक्टर–4 में योजना की रिप्लानिंग करने पर समान क्षेत्रफल के दो भूखण्ड सृजित किये गये हैं। समिति द्वारा विचार विमर्श कर उपायुक्त के प्रस्तावानुसार पी.डब्ल्यू.सी. में उक्त भूखण्डों के सृजन की कार्योत्तर स्वीकृति की प्रत्याशा में भूखण्ड संख्या 7/2डी–1 क्षेत्रफल 724.725 व.मी. के स्थान पर भूखण्ड संख्या 4/एच/I/ए क्षेत्रफल 724.72 व.मी. एवं भूखण्ड संख्या 7/2डी–3 क्षेत्रफल 724.725 व.मी. के स्थान पर भूखण्ड संख्या 4/एच/I/बी क्षेत्रफल 724.72 व.मी. विनिमय करने का निर्णय लिया गया।
3.	2	132:3	सर्व श्री चंदा, कल्याण, छितर पुत्रान पु. स्व. श्री गंगू निवासी ग्राम बोपतावाला को भूखण्ड संख्या 7/एच–I/डी सेक्टर नं. 7, विद्याधर नगर, जयपुर से लगती भूमि 37.60 व.मी.	माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की पालना में सर्व श्री चंदा, कल्याण, छितर पुत्रान पु. स्व. श्री गंगू निवासी ग्राम बोपतावाला को भूखण्ड संख्या 7/एच–I/डी सेक्टर नं. 7, विद्याधर नगर, जयपुर क्षेत्रफल 715 वर्गमीटर आवंटन किया गया है। उक्त भूखण्ड से लगती भूमि 37.60 व.मी. भूमि (स्ट्रीप ऑफ लैण्ड) के आवंटन की प्रार्थी ने मांग

उपायुक्त (एल.पी.सी.)

			भूमि (स्ट्रीप ऑफ लैण्ड) के आवंटन के संबंध में।	की है। उपायुक्त द्वारा स्ट्रीप ऑफ लैण्ड की 37.60 वर्गमीटर भूमि के आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। उपायुक्त ने बताया कि उक्त स्ट्रीप ऑफ लैण्ड का पृथक से भूखण्ड सृजित नहीं किया जा सकता है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 23 के अन्तर्गत स्ट्रीप ऑफ लैण्ड की 37.60 वर्गमीटर भूमि योजना की वर्तमान आवासीय आरक्षित दर की दुगुनी दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
4.	5	132:4	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर को मंगल विहार योजना में सुविधा क्षेत्र में क्षेत्रफल 665.00 वर्गमीटर भूमि पानी की टंकी हेतु आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–5 द्वारा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर को जविप्रा जोन–5 क्षेत्राधिकार में आने वाली मंगल विहार योजना में सुविधा क्षेत्र में क्षेत्रफल 665.00 वर्गगज भूमि पानी की टंकी हेतु आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(55)नविवि/3/2002 जयपुर दिनांक 25.11.16 के अनुसरण में विभाग को मंगल विहार योजना में सुविधा क्षेत्र में 665.00 वर्गमीटर भूमि पानी की टंकी हेतु निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
5.	7	132:5	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग परियोजना वृत (शहर) राजस्थान जयपुर को ग्राम सिरसी में कनक वृन्दावन मैन योजना के सुविधा क्षेत्र में 2539.93 वर्गमीटर एवं ग्राम कनकपुरा के खसरा नं. 143 में से 500.07 वर्गमीटर कुल 3040 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–7 द्वारा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग परियोजना वृत (शहर) राजस्थान जयपुर को ग्राम सिरसी में कनक वृन्दावन मैन योजना के सुविधा क्षेत्र में 2539.93 वर्गमीटर एवं ग्राम कनकपुरा के खसरा नं. 143 में से 500. 07 वर्गमीटर कुल 3040 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। पूर्व में विभाग को उक्त स्थान पर 1000 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटन की जा चुकी है। विभाग द्वारा पम्प हाउस हेतु अतिरिक्त भूमि का आवंटन निःशुल्क चाहा गया है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर कनक वृन्दावन मैन योजना के सुविधा क्षेत्र में 2539.93 वर्गमीटर व ग्राम कनकपुरा के खसरा नं. 143 में से 500.07 वर्गमीटर कुल 3040 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटन करने की स्वीकृति हेतु प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाने का निर्णय लिया गया।
6.	7	132:6	नगर निगम, जयपुर को जविप्रा की योजना कुबेर कॉम्पलैक्स के सुविधा क्षेत्र में वाचनालय हेतु 500 वर्गमीटर भूमि आरक्षित करवाने बाबत।	उपायुक्त जोन–7 द्वारा नगर निगम, जयपुर को जविप्रा की योजना कुबेर कॉम्पलैक्स के सुविधा क्षेत्र में वाचनालय हेतु 500 वर्गमीटर भूमि आरक्षित करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। प्रश्नगत प्रकरण में महापौर, नगर निगम का पत्र प्राप्त हुआ है। निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। नगरीय विकास विभाग की आवंटन नीति–2015 के बिन्दु संख्या 3 (iV) में "सार्वजनिक प्याऊ, सार्वजनिक शौचालय/मूत्रालय, सार्वजनिक पुस्तकालय, कचरा संग्रहण स्थल, वाचनालय, कब्रिस्तान/श्मशान, बस शैल्टर आदि जैसे प्रयोजनों के लिये नगर विकास न्यास/प्राधिकरण/आवासन मण्डल/स्थानीय निकाय द्वारा भूमि चिन्हित की जावेगी तथा इन सुविधाओं के संचालन व रख–रखाव हेतु संबंधित संस्था को भूमि हस्तान्तरित की जा सकेगी, परन्तु प्रस्तावित भूमि पर स्वामित्व संबंधित स्थानीय निकाय का ही रहेगा" का प्रावधान वर्णित है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर कुबेर कॉम्पलैक्स योजना के सुविधा क्षेत्र में 500 वर्गमीटर भूमि सार्वजनिक पुस्तकालय हेतु आरक्षित करने व इन सुविधाओं के संचालन व रख–रखाव हेतु भूमि नगर निगम, जयपुर को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया। भूमि का स्वामित्व जविप्रा का ही रहेगा।
7.	8	132:7	अधीक्षण अभियंता (ज.न.वृ.),	उपायुक्त जोन–8 द्वारा अधीक्षण अभियंता (ज.न.वृ.), जयपुर

अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)

			जयपुर डिस्कॉम, जयपुर को निजी खातेदारी की आवासीय योजना वर्धमान सरोवर सी में 33/11 केवी सब स्टेशन हेतु भूमि आवंटन करने बाबत।	डिस्कॉम, जयपुर को निजी खातेदारी की आवासीय योजना वर्धमान सरोवर सी सुविधा क्षेत्र के भूखण्ड की ओर 63' X 120' = 840.00 वर्गगज (702.32 वर्गमीटर) 40 फीट सडक की ओर रोड काटते हुये 693.44 वर्गमीटर भूमि 33/11 केवी सब स्टेशन हेतु आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर जयपुर डिस्कॉम को वर्धमान सरोवर सी योजना के सुविधा क्षेत्र की उपलब्ध 693.44 वर्गमीटर भूमि 33/11 केवी सब स्टेशन हेतु योजना की वर्तमान संस्थानिक आरक्षित दर + 15 प्रतिशत (शहरी निकाय को देय राशि) पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
8.	9	132:8	श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर को जविप्रा महल योजना ब्लॉक ए.बी. में 8938.90 वर्गमीटर भूमि जनोपयोगी भवन (कम्यूनिटी सेंटर) हेतु आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–9 द्वारा श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर को जविप्रा की महल योजना ब्लॉक ए.बी. में 8938.90 वर्गमीटर भूमि जनपयोगी भवन (कम्युनिटी सेंटर) हेतु आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। उपायुक्त ने बैठक के दौरान बताया कि प्रश्नगत भूमि के आवंटन पर न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी है एवं उक्त भूमि का पी.टी. सर्वे भी करवाया जाना है। अतः समिति द्वारा प्रकरण स्थगित किया जाकर उपायुक्त को निर्देशित किया गया कि वे प्रकरण के समस्त तथ्यों का विस्तृत परीक्षण कर प्रस्ताव प्रस्तुत करें।
9.	11	132:9	श्रीमती रिंकु सरावगी पत्नी श्री दीपक सरावगी को सेज पुनर्वास योजना ग्राम भम्भोरिया/बगरूखुर्द के आवासीय भूखण्ड संख्या 41–सी आवंटित क्षेत्रफल 375 वर्गमीटर (कॉर्नर) का मौका रिपोर्ट अनुसार क्षेत्रफल बढ जाने के कारण बढे हुये क्षेत्रफल 125 वर्गमीटर को आवंटन करने बाबत।	श्रीमती रिंकु सरावगी पत्नी श्री दीपक सरावगी को सेज पुनर्वास योजना ग्राम भम्भोरिया/बगरूखुर्द में आवासीय भूखण्ड संख्या 41–सी क्षेत्रफल 375 वर्गमीटर आवंटन किया गया था। उपायुक्त की रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूखण्ड में 125 वर्गमीटर क्षेत्रफल मौके पर बढ गया है। जिसका स्वतंत्र भूखण्ड सृजित नहीं हो सकता है। एम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 03.10.13 में सेज योजना के कॉर्नर भूखण्डों में बढा हुआ क्षेत्रफल होने पर आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने हेतु प्राधिकरण को अधिकृत किया गया है। उपायुक्त द्वारा मांग पत्र जारी करने पर आवेदक द्वारा राशि जमा करा दी गई है। उपायुक्त द्वारा बढे हुये क्षेत्रफल के आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर एम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 03.10.13 व राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 04.10.13 के क्रम में बढ़ा हुआ क्षेत्रफल 125 वर्गमीटर योजना की वर्तमान आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
10.	11	132:10	श्री लालाराम पुत्र श्री भूरा उर्फ भंवरलाल को सेज पुनर्वास योजना ग्राम झांई के आवासीय भूखण्ड संख्या 659–सी आवंटित क्षेत्रफल 1250 वर्गमीटर (कॉर्नर) का मौका रिपोर्ट अनुसार क्षेत्रफल बढ जाने के कारण बढे हुये क्षेत्रफल 175 वर्गमीटर को आवंटन करने बाबत।	श्री लालाराम पुत्र श्री भूरा उर्फ भंवरलाल को सेज पुनर्वास योजना ग्राम झांई में आवासीय भूखण्ड संख्या 659–सी क्षेत्रफल 1250 वर्गमीटर आवंटन किया गया था। उपायुक्त की रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूखण्ड में 175 वर्गमीटर क्षेत्रफल मौके पर बढ गया है। जिसका स्वतंत्र भूखण्ड सृजित नहीं हो सकता है। एम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 03.10.13 में सेज योजना के कॉर्नर भूखण्डों में बढा हुआ क्षेत्रफल होने पर आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने हेतु प्राधिकरण को अधिकृत किया गया है। प्रार्थी द्वारा बढे हुये क्षेत्रफल की राशि जमा कराने हेतु सहमति प्रस्तुत की है। उपायुक्त द्वारा बढे हुये क्षेत्रफल के आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर एम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 03.10.13 व राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 04.10.13 के क्रम में बढ़ा हुआ क्षेत्रफल 175 वर्गमीटर योजना की वर्तमान आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

11.	11	132:11	श्री उमा शंकर सिंघल, श्री अरूण कुमार सिंघल, श्रीमती राजबाला एवं श्रीमती अंजू सिंघल को सेज पुनर्वास योजना ग्राम टीलवास के आवासीय भूखण्ड संख्या 405–सी आवंटित क्षेत्रफल 150 वर्गमीटर (कॉर्नर) का मौका रिपोर्ट अनुसार क्षेत्रफल बढ जाने के कारण बढे हुये क्षेत्रफल 52.5 वर्गमीटर को आवंटन करने बाबत।	श्री उमा शंकर सिंघल, श्री अरूण कुमार सिंघल, श्रीमती राजबाला एवं श्रीमती अंजू सिंघल को सेज पुनर्वास योजना ग्राम टीलवास में आवासीय भूखण्ड संख्या 405–सी क्षेत्रफल 150 वर्गमीटर आवंटन किया गया था। उपायुक्त की रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूखण्ड में 52.5 वर्गमीटर क्षेत्रफल मौके पर बढ गया है। जिसका स्वतंत्र भूखण्ड सृजित नहीं हो सकता है। एम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 03.10.13 में सेज योजना के कॉर्नर भूखण्डों में बढा हुआ क्षेत्रफल होने पर आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने हेतु प्राधिकरण को अधिकृत किया गया है। प्रार्थी द्वारा बढे हुये क्षेत्रफल की राशि जमा कराने हेतु सहमति प्रस्तुत की है। उपायुक्त द्वारा बढे हुये क्षेत्रफल के आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर एम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 03.10.13 व राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 04.10.13 के क्रम में बढ़ा हुआ क्षेत्रफल 52.5 वर्गमीटर योजना की वर्तमान आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
12.	11	132:12	कुमारी पिंकी नकवाल को सेज पुनर्वास योजना ग्राम टीलवास पालडी परसा के आवासीय भूखण्ड संख्या 579–सी आवंटित क्षेत्रफल 900 वर्गमीटर (कॉर्नर) का मौका रिपोर्ट अनुसार क्षेत्रफल बढ जाने के कारण बढे हुये क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर को आवंटन करने बाबत।	कुमारी पिंकी नकवाल को सेज पुनर्वास योजना ग्राम टीलावास में आवासीय भूखण्ड संख्या 579–सी क्षेत्रफल 900 वर्गमीटर आवंटन किया गया था। उपायुक्त की रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूखण्ड में 72 वर्गमीटर क्षेत्रफल मौके पर बढ गया है। जिसका स्वतंत्र भूखण्ड सृजित नहीं हो सकता है। एम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 03.10.13 में सेज योजना के कॉर्नर भूखण्डों में बढा हुआ क्षेत्रफल होने पर आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने हेतु प्राधिकरण को अधिकृत किया गया है। प्रार्थी द्वारा बढे हुये क्षेत्रफल की राशि जमा कराने हेतु सहमति प्रस्तुत की है। उपायुक्त द्वारा बढे हुये क्षेत्रफल के आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर एम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 03.10.13 व राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 04.10.13 के क्रम में बढ़ा हुआ क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर योजना की वर्तमान आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
13.	11	132:12	मैसर्स गणेशम बिल्डटेक प्रा. लि. जरिये निदेशक श्री सुरेश कुमार को सेज पुनर्वास योजना ग्राम पालडी परसा के व्यावसायिक भूखण्ड संख्या 16–सी आवंटित क्षेत्रफल 120 वर्गमीटर (कॉर्नर) का मौका रिपोर्ट अनुसार क्षेत्रफल बढ जाने के कारण बढे हुये क्षेत्रफल 45 वर्गमीटर को आवंटन करने बाबत।	मैसर्स गणेशम बिल्डटेक प्रा.लि. जरिये निदेशक श्री सुरेश कुमार को सेज पुनर्वास योजना ग्राम पालडी परसा में व्यावसायिक भूखण्ड संख्या 16–सी क्षेत्रफल 120 वर्गमीटर आवंटन किया गया था। उपायुक्त की रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूखण्ड में 45 वर्गमीटर क्षेत्रफल मौके पर बढ गया है। जिसका स्वतंत्र भूखण्ड सृजित नहीं हो सकता है। एम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 03.10.13 में सेज योजना के कॉर्नर भूखण्डों में बढा हुआ क्षेत्रफल होने पर आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने हेतु प्राधिकरण को अधिकृत किया गया है। प्रार्थी द्वारा बढे हुये क्षेत्रफल की राशि जमा कराने हेतु सहमति प्रस्तुत की है। उपायुक्त द्वारा बढे हुये क्षेत्रफल के आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि योजना की प्लानिंग की पुनः जांच की जाकर यह पुष्टि की जावे कि क्षेत्रफल किन कारणों से बढ़ा है?
14.	11	132:14	श्रीमती शैफाली सक्सैना को सेज पुनर्वास योजना ग्राम पालडी परसा के व्यावसायिक भूखण्ड संख्या 1044–सी आवंटित क्षेत्रफल 45 वर्गमीटर (कॉर्नर) का मौका रिपोर्ट	श्रीमती शैफाली सक्सैना को सेज पुनर्वास योजना ग्राम पालडी परसा में व्यावसायिक भूखण्ड संख्या 1044–सी क्षेत्रफल 45 वर्गमीटर आवंटन किया गया था। उपायुक्त की रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूखण्ड में 31.87 वर्गमीटर क्षेत्रफल मौके पर बढ गया है। जिसका स्वतंत्र भूखण्ड सृजित नहीं हो सकता है। एम्पावर्ड कमेटी की बैठक

अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

			अनुसार क्षेत्रफल बढ जाने के कारण बढे हुये क्षेत्रफल 31.87 वर्गमीटर को आवंटन करने बाबत।	दिनांक 03.10.13 में सेज योजना के कॉर्नर भूखण्डों में बढा हुआ क्षेत्रफल होने पर आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने हेतु प्राधिकरण को अधिकृत किया गया है। उपायुक्त द्वारा बढे हुये क्षेत्रफल के आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि योजना की प्लानिंग की पुनः जांच की जाकर यह पुष्टि की जावे कि क्षेत्रफल किन कारणों से बढ़ा है?
15.	12	132:15	कार्यालय ग्राम पंचायत जयरामपुरा, पंचायत समिति जालसू, तहसील आमेर को ग्राम गोविन्दपुरा तहसील आमेर के खसरा नं. 264 किस्म चरागाह रकबा 2.86 हैक्टेयर में से 2500 वर्गमीटर भूमि श्मशान हेतु आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–12 द्वारा कार्यालय ग्राम पंचायत जयरामपुरा, पंचायत समिति जालसू, तहसील आमेर को ग्राम गोविन्दपुरा तहसील आमेर के खसरा नं. 264 किस्म चरागाह रकबा 2.86 हैक्टेयर में से 2500 वर्गमीटर भूमि श्मशान हेतु आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। नगरीय विकास विभाग की आवंटन नीति–2015 के बिन्दु संख्या 3 के उपबिन्दु IV में श्मशान हेतु भूमि चिन्हित करने व संचालन व रख–रखाव हेतु संबंधित संस्था को हस्तांतरित करने का प्रावधान वर्णित है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर ग्राम गोविन्दपुरा तहसील आमेर के खसरा नं. 264 में से 2500 व.मी. भूमि श्मशान हेतु आरक्षित रखने व इसके संचालन व रख–रखाव हेतु भूमि ग्राम पंचायत को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया। उक्त भूमि का स्वामित्व जविप्रा का ही रहेगा। आरक्षित की जाने वाली भूमि निदेशक (आयोजना) की सहमति से इस प्रकार चिन्हित की जाए कि शेष भूमि का भविष्य में समुचित उपयोग हो सके।
16.	12	132:16	कार्यालय ग्राम पंचायत जयरामपुरा, पंचायत समिति जालसू, तहसील आमेर को ग्राम जयरामपुरा तहसील आमेर के खसरा नं. 1469 किस्म चरागाह रकबा 13.68 हैक्टेयर में से 2500 वर्गमीटर भूमि श्मशान हेतु आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–12 द्वारा कार्यालय ग्राम पंचायत जयरामपुरा, पंचायत समिति जालसू, तहसील आमेर को ग्राम जयरामपुरा तहसील आमेर के खसरा नं. 1469 किस्म चरागाह रकबा 13.68 हैक्टेयर में से 2500 वर्गमीटर भूमि श्मशान हेतु आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। नगरीय विकास विभाग की आवंटन नीति–2015 के बिन्दु संख्या 3 के उपबिन्दु IV में श्मशान हेतु भूमि चिन्हित करने व संचालन व रख–रखाव हेतु संबंधित संस्था को हस्तांतरित करने का प्रावधान वर्णित है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर ग्राम जयरामपुरा तहसील आमेर के खसरा नं. 1469 में से 2500 व.मी. भूमि श्मशान हेतु आरक्षित रखने व इसके संचालन व रख–रखाव हेतु भूमि ग्राम पंचायत को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया। उक्त भूमि का स्वामित्व जविप्रा का ही रहेगा। आरक्षित की जाने वाली भूमि निदेशक (आयोजना) की सहमति से इस प्रकार चिन्हित की जाए कि शेष भूमि का भविष्य में समुचित उपयोग हो सके।
17.	12	132:17	कार्यालय ग्राम पंचायत चतरपुरा, पंचायत समिति जालसू, तहसील आमेर को ग्राम आछोजाई तहसील आमेर के खसरा नं. 406 किस्म चरागाह रकबा 3.82 हैक्टेयर में से 2500 वर्गमीटर भूमि श्मशान हेतु आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–12 द्वारा कार्यालय ग्राम पंचायत चतरपुरा, पंचायत समिति जालसू, तहसील आमेर को ग्राम आछोजाई तहसील आमेर के खसरा नं. 406 किस्म चरागाह रकबा 3.82 हैक्टेयर में से 2500 वर्गमीटर भूमि श्मशान हेतु आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। नगरीय विकास विभाग की आवंटन नीति–2015 के बिन्दु संख्या 3 के उपबिन्दु IV में श्मशान हेतु भूमि चिन्हित करने व संचालन व रख–रखाव हेतु संबंधित संस्था को हस्तांतरित करने का प्रावधान वर्णित है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर ग्राम आछोजाई तहसील आमेर के खसरा नं. 406 में से 2500 व.मी. भूमि श्मशान हेतु आरक्षित रखने व इसके संचालन व रख–रखाव हेतु भूमि ग्राम पंचायत को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया। उक्त भूमि का

अतिरिक्त आयुक्त ([illegible])
जयपुर विकास प्राधिकरण, [illegible]

				स्वामित्व जविप्रा का ही रहेगा। आरक्षित की जाने वाली भूमि निदेशक (आयोजना) की सहमति से इस प्रकार चिन्हित की जाए कि शेष भूमि का भविष्य में समुचित उपयोग हो सके।
18.	12	132:18	कार्यालय ग्राम पंचायत चतरपुरा, पंचायत समिति जालसू, तहसील आमेर को ग्राम दतावता तहसील आमेर के खसरा नं. 22 किस्म चरागाह रकबा 8.33 हैक्टेयर में से 2500 वर्गमीटर भूमि श्मशान हेतु आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–12 द्वारा कार्यालय ग्राम पंचायत चतरपुरा, पंचायत समिति जालसू, तहसील आमेर को ग्राम दतावता तहसील आमेर के खसरा नं. 22 किस्म चरागाह रकबा 8.33 हैक्टेयर में से 2500 वर्गमीटर भूमि श्मशान हेतु आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। नगरीय विकास विभाग की आवंटन नीति–2015 के बिन्दु संख्या 3 के उपबिन्दु IV में श्मशान हेतु भूमि चिन्हित करने व संचालन व रख–रखाव हेतु संबंधित संस्था को हस्तांतरित करने का प्रावधान वर्णित है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर ग्राम दतावता तहसील आमेर के खसरा नं. 22 में से 2500 व.मी. भूमि श्मशान हेतु आरक्षित रखने व इसके संचालन व रख–रखाव हेतु भूमि ग्राम पंचायत को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया। उक्त भूमि का स्वामित्व जविप्रा का ही रहेगा। आरक्षित की जाने वाली भूमि निदेशक (आयोजना) की सहमति से इस प्रकार चिन्हित की जाए कि शेष भूमि का भविष्य में समुचित उपयोग हो सके।
19.	12	132:19	कार्यालय ग्राम पंचायत अवानियॉं, पंचायत समिति सांगानेर, तहसील सांगानेर को ग्राम घेघा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 482 किस्म चरागाह रकबा 3.96 हैक्टेयर में से 2500 वर्गमीटर भूमि श्मशान हेतु आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–12 द्वारा कार्यालय ग्राम पंचायत अवानियॉं, पंचायत समिति सांगानेर, तहसील सांगानेर को ग्राम घेघा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 482 किस्म चरागाह रकबा 3.96 हैक्टेयर में से 2500 वर्गमीटर भूमि श्मशान हेतु आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। नगरीय विकास विभाग की आवंटन नीति–2015 के बिन्दु संख्या 3 के उपबिन्दु IV में श्मशान हेतु भूमि चिन्हित करने व संचालन व रख–रखाव हेतु संबंधित संस्था को हस्तांतरित करने का प्रावधान वर्णित है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर ग्राम घेघा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 482 में से 2500 व.मी. भूमि श्मशान हेतु आरक्षित रखने व इसके संचालन व रख–रखाव हेतु भूमि ग्राम पंचायत को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया। उक्त भूमि का स्वामित्व जविप्रा का ही रहेगा। आरक्षित की जाने वाली भूमि निदेशक (आयोजना) की सहमति से इस प्रकार चिन्हित की जाए कि शेष भूमि का भविष्य में समुचित उपयोग हो सके।
20.	12	132:20	राजकीय प्राथमिक विद्यालय, दतावता को ग्राम दतावता तहसील आमेर के खसरा नं. 43 किस्म चरागाह रकबा 3.97 हैक्टेयर व खसरा नं. 12 किस्म चरागाह रकबा 4.27 हैक्टेयर भूमि में से 7500 वर्गमीटर भूमि खेल मैदान व स्कूल की चारदीवारी हेतु आवंटन बाबत।	उपायुक्त जोन–12 द्वारा राजकीय प्राथमिक विद्यालय, दतावता को ग्राम दतावता तहसील आमेर के खसरा नं. 43 किस्म चरागाह रकबा 3.97 हैक्टेयर व खसरा नं. 12 किस्म चरागाह रकबा 4.27 हैक्टेयर भूमि में से 7500 वर्गमीटर भूमि खेल मैदान व स्कूल की चारदीवारी हेतु आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। उपायुक्त ने बताया कि मौके पर स्कूल बना हुआ है, चारदीवारी व खैल मैदान हेतु भूमि आवंटन चाहा है। नगरीय विकास विभाग की आवंटन नीति–2015 में प्राथमिक विद्यालय हेतु अधिकतम 2000 वर्गमीटर भूमि आवंटन का प्रावधान है तथा खेल मैदान हेतु भूमि आवंटन का प्रावधान नहीं है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि भविष्य में विद्यालय की क्रमोन्नति व ग्राम में खेल मैदान की आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुये विभाग को राजकीय प्राथमिक विद्यालय, दतावता हेतु ग्राम दतावता के खसरा नं. 43 व 12 में से 7500 वर्गमीटर भूमि आवंटन किया जाना उचित होगा। प्रकरण अधिक भूमि आवंटन व खैल मैदान हेतु भूमि

अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

				आवंटन के बिन्दु पर शिथिलता प्रदान करने के निर्णयार्थ व निःशुल्क आवंटन हेतु राज्य सरकार को भिजवाया जावे। ज्ञातव्य है कि प्रश्नगत भूमि चरागाह है, जिसका आवंटन व्यापक जनहित को दृष्टिगत रखते हुये करने का निर्णय लिया गया है।
21.	12	132:21	चिकित्साधिकारी प्रभारी, राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय, चतरपुरा हेतु ग्राम चतरपुरा तहसील आमेर के खसरा नं. 213 किस्म बारानी–3 रकबा 0.10 हैक्टेयर (1000 वर्गमीटर) भूमि आयुर्वेद औषधालय हेतु आवंटन बाबत।	उपायुक्त जोन–12 द्वारा चिकित्साधिकारी प्रभारी, राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय, चतरपुरा हेतु ग्राम चतरपुरा तहसील आमेर के खसरा नं. 213 किस्म बारानी–3 रकबा 0.10 हैक्टेयर (1000 वर्गमीटर) भूमि वर्तमान कच्चे रास्ते को 12 मीटर करते हुये आयुर्वेद औषधालय हेतु आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। उपायुक्त द्वारा बताया गया कि मौके पर 15 फीट का कच्चा रास्ता उपलब्ध है, जिसे 12 मीटर चौडी सडक किया जाना प्रस्तावित है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय, चतरपुरा हेतु ग्राम चतरपुरा के खसरा नं. 213 क्षेत्रफल 1000 वर्गमीटर (प्रस्तावित 12 मीटर रोड) भूमि कृषि भूमि की वर्तमान डीएलसी दर + 20 प्रतिशत (शहरी निकाय को देय राशि) पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। विभाग द्वारा निःशुल्क आवंटन चाहे जाने पर प्रकरण स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को भेजा जावे।
22.	12	132:22	कार्यालय ग्राम पंचायत मण्डा भोपावास, पं.सं. झोटवाडा हेतु ग्राम मण्डा भोपावास तहसील जयपुर के खसरा नं. 155 किस्म चरागाह रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा भूमि में से ग्राम पंचायत कार्यालय, किसान सेवा केन्द्र, पटवार कार्यालय, ई–मित्र केन्द्र, पोस्ट ऑफिस, मीटिंग हॉल का निर्माण हेतु आवंटन बाबत।	उपायुक्त जोन–12 कार्यालय ग्राम पंचायत मण्डा भोपावास, पं.सं. झोटवाडा हेतु ग्राम मण्डा भोपावास तहसील जयपुर के खसरा नं. 155 किस्म चरागाह रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा भूमि में से ग्राम पंचायत कार्यालय, किसान सेवा केन्द्र, पटवार कार्यालय, ई–मित्र केन्द्र, पोस्ट ऑफिस, मीटिंग हॉल का निर्माण हेतु 5 बीघा भूमि आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि ग्राम पंचायत कार्यालय, अटल सेवा केन्द्र हेतु ग्राम मण्डा भोपावास तहसील जयपुर के खसरा नं. 155 में से 2500 वर्गमीटर कृषि भूमि की वर्तमान डीएलसी दर + 20 प्रतिशत (शहरी निकाय को देय राशि) पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। साथ ही ग्राम पंचायत कार्यालय के अतिरिक्त अन्य राजकीय भवनों हेतु भूमि आवंटन का आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, किन्तु भविष्य की आवश्यकताओं को मध्यनजर रखते हुये ग्राम पंचायत में अन्य राजकीय कार्यालयों हेतु प्रस्तावित भूमि में से 2 बीघा भूमि आरक्षित करने का भी निर्णय लिया गया। ज्ञातव्य है कि प्रश्नगत भूमि चरागाह है, जिसका आवंटन/आरक्षण व्यापक जनहित को दृष्टिगत रखते हुये करने का निर्णय लिया गया है।
23.	12	132:23	कार्यालय ग्राम पंचायत बिहारीपुरा, पं.सं. जालसू हेतु ग्राम बिहारीपुरा तहसील आमेर के खसरा नं. 375 किस्म चरागाह रकबा 13.64 हैक्टेयर में से 5 बीघा (12645 वर्गमीटर) भूमि ग्राम पंचायत भवन, अटल सेवा केन्द्र, किसान सेवा केन्द्र एवं अन्य सरकारी भवन हेतु आवंटन बाबत।	उपायुक्त जोन–12 कार्यालय ग्राम पंचायत बिहारीपुरा, पं.सं. जालसू हेतु ग्राम बिहारीपुरा तहसील आमेर के खसरा नं. 375 किस्म चरागाह रकबा 13.64 हैक्टेयर में से 5 बीघा (12645 वर्गमीटर) भूमि में से ग्राम पंचायत भवन, अटल सेवा केन्द्र, किसान सेवा केन्द्र व अन्य सरकारी भवन हेतु आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि ग्राम पंचायत भवन, अटल सेवा केन्द्र हेतु ग्राम बिहारीपुरा तहसील आमेर के खसरा नं. 375 में से 2500 वर्गमीटर कृषि भूमि की वर्तमान डीएलसी दर + 20 प्रतिशत (शहरी निकाय को देय राशि) पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। साथ ही ग्राम पंचायत कार्यालय के अतिरिक्त अन्य राजकीय भवनों हेतु भूमि आवंटन का आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, किन्तु भविष्य की आवश्यकताओं को मध्यनजर रखते हुये

				ग्राम पंचायत में अन्य राजकीय कार्यालयों हेतु प्रस्तावित भूमि में से 2 बीघा भूमि आरक्षित करने का भी निर्णय लिया गया। ज्ञातव्य है कि प्रश्नगत भूमि चरागाह है, जिसका आवंटन/आरक्षण व्यापक जनहित को दृष्टिगत रखते हुये करने का निर्णय लिया गया है।
24.	14	132:24	सरपंच, ग्राम पंचायत वाटिका, पंचायत समिति सांगानेर को ग्राम वाटिका तहसील सांगानेर के खसरा नं. 1717 की भूमि में से श्मशान हेतु सेटअपार्ट/आरक्षित किये जाने के संबंध में।	उपायुक्त जोन–14 द्वारा सरपंच, ग्राम पंचायत वाटिका, पंचायत समिति सांगानेर को ग्राम वाटिका तहसील सांगानेर के खसरा नं. 1717 की भूमि में से 1000 वर्गमीटर भूमि श्मशान हेतु सेटअपार्ट/आरक्षित किये जाने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर उपायुक्त को निर्देशित किया गया कि वे मौका देखकर यह सुनिश्चित कर ले कि प्रस्तावित भूमि सैक्टर रोड से प्रभावित तो नहीं है। अतः प्रकरण स्थगित किया गया।
25.	14	132:25	चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर को राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत नवीन शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सचिवालय नगर के निर्माण हेतु मुहाना गृह निर्माण सहकारी समिति की अनुमोदित आवासीय योजना सचिवालय नगर में स्थित सुविधा क्षेत्र 606.00 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–14 द्वारा चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर को राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत नवीन शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सचिवालय नगर के निर्माण हेतु मुहाना गृह निर्माण सहकारी समिति की अनुमोदित आवासीय योजना सचिवालय नगर में स्थित सुविधा क्षेत्र 606.00 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(55)नविवि/3/2002 जयपुर दिनांक 25.11.16 के अनुसरण में विभाग को शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सचिवालय नगर हेतु योजना के सुविधा क्षेत्र की 606.00 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
आयुक्त महोदय की अनुमति से बैठक में प्रस्तुत निम्नांकित टेबल एजेण्डा पर निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–				
26.	9	132:25(1)	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, विधाणी तहसील सांगानेर में 4000 वर्गमीटर भूमि आवंटन बाबत।	एलपीसी की 130वीं बैठक दिनांक 12.01.17 में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, विधाणी हेतु अविकसित भूमि चिन्हित करने का निर्णय लिया गया था। उपायुक्त जोन–9 द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, विधाणी तहसील सांगानेर हेतु ग्राम विधाणी के खसरा नं. 119 किस्म चरागाह कुल रकबा 4.01 हैक्टेयर में से 4000 वर्गमीटर भूमि विद्यालय हेतु आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, विधाणी हेतु ग्राम विधाणी के खसरा नं. 119 में से 4000 वर्गमीटर भूमि कृषि भूमि की वर्तमान डीएलसी दर + 20 प्रतिशत (शहरी निकाय को देय राशि) पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। ज्ञातव्य है कि प्रश्नगत भूमि चरागाह है, जिसका आवंटन व्यापक जनहित को दृष्टिगत रखते हुये करने का निर्णय लिया गया है।
27.	4	132:25(2)	हाडौती समाज को पूर्व में आवंटित महावीर नगर–प्रथम के सुविधा क्षेत्र की भूमि के बदले अन्यत्र वैकल्पिक भूमि आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा नोट के अनुसार हाडौती समाज को महावीर नगर–प्रथम की सुविधा क्षेत्र की भूमि में से 955.33 वर्गगज (798.75 वर्गमीटर) भूमि नगरीय विकास विभाग की स्वीकृति दिनांक 13.02.01 के क्रम में जोन के पत्र दिनांक 25.07.01 द्वारा आवंटन की गई थी। उक्त भूमि पर माननीय उच्च न्यायालय में जनहित याचिका डी.बी. सिविल रिट पि. नं. 1270/01 महेन्द्र सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य दायर हो गई। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका डी.बी. सिविल रिट पि. नं. 1270/01 में दिनांक 22.05.15 को दिये गये निर्णय अनुसार नगरीय विकास विभाग की स्वीकृति को यथावत

अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

				रखा जाकर हाडौती समाज को उक्त स्थान से 2–3 किलोमीटर की दूरी पर अन्य वैकल्पिक भूमि का आवंटन कर दिया जाये तथा पूर्व में हाडौती समाज को आवंटित की गई भूमि को पार्क के रूप में विकसित किया जावे। अतः उपायुक्त द्वारा हाडौती समाज को मैसर्स रेडियन्ट होटल प्रा.लि. की भूमि में से आरक्षित 5 प्रतिशत भूमि अर्थात 1053 वर्गमीटर में से पूर्ववत् 798.75 वर्गमीटर भूमि आवंटित करने व दर का निर्धारण करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर माननीय न्यायालय एवं राज्य सरकार के आदेशानुसार हाडौती समाज को पूर्व में आवंटित भूमि के स्थान पर मैसर्स रेडियन्ट होटल प्रा.लि. की भूमि में से आरक्षित 5 प्रतिशत भूमि अर्थात 1053 वर्गमीटर में से विकल्प–1 की 798.75 वर्गमीटर भूमि वर्तमान संस्थानिक आरक्षित दर + 15 प्रतिशत (शहरी निकाय को देय राशि) पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। पूर्व आवंटित भूमि महावीर नगर–प्रथम की डी.एल.सी. दर 11490/– रूपये प्रति वर्गमीटर है। अतः पूर्व आवंटित व वर्तमान में आवंटन की जाने वाली भूमि की वर्तमानों दरों से अंतर राशि आवंटी से वसूल करने का निर्णय लिया गया।
28.	5	132:25(3)	चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राजस्थान सरकार, जयपुर को महारानी फार्म क्षेत्र में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, वार्ड नं. 44 हेतु 600 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–5 द्वारा चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राजस्थान सरकार, जयपुर को महारानी फार्म क्षेत्र में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, वार्ड नं. 44 के महारानी फार्म, रघु विहार कॉलोनी हेतु रघु विहार में स्थित सुविधा क्षेत्र की 600 वर्गमीटर भूमि का आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(55)नविवि/3/2002 जयपुर दिनांक 25.11.16 के अनुसरण में विभाग को उक्त स्वीकृत शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु रघु विहार के सुविधा क्षेत्र की 600.00 वर्गमीटर भूमि (End Use परिर्वतन की प्रत्याशा में) निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
29.	7	132:25(4)	कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, वार्ड नं. 17/18 हेतु 600 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–7 द्वारा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, वार्ड नं. 17/18 हेतु ग्राम कनकपुरा तहसील जयपुर के खसरा नं. 234/2, 234/308/2 एवं 236 रंगोली गार्डन ग्रुप हाउसिंग योजना की 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र भूमि में से 600 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(55)नविवि/3/2002 जयपुर दिनांक 25.11.16 के अनुसरण में विभाग को उक्त स्वीकृत शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु रंगोली गार्डन ग्रुप हाउसिंग योजना के सुविधा क्षेत्र में से 600 वर्गमीटर भूमि (End Use परिर्वतन की प्रत्याशा में) निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

बैठक सधन्यवाद् समाप्त की गई।

सदस्य सचिव
एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)
विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
4. जिला कलक्टर, जयपुर
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर
6. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर
7. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर
8. मुख्य अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर
9. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जयपुर
10. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
11. निदेशक(वित्त / अभियांत्रिकी–द्वितीय / आयोजना), जविप्रा, जयपुर
12. अतिरिक्त आयुक्त(पूर्व / पश्चिम / एल.पी.सी. / भूमि / प्रशासन), जविप्रा, जयपुर
13. संयुक्त आयुक्त (संसाधन विकास एवं समन्वय), जविप्रा, जयपुर
14. विशेषाधिकारी (आर. एण्ड एम.), जविप्रा, जयपुर
15. अतिरिक्त निदेशक (राजस्व एवं सम्पति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर
16. उपायुक्त जोन–1 से 14 व पीआरएन (उत्तर / दक्षिण), जविप्रा, जयपुर।
17. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को कार्यवाही विवरण स्केन करने के लिये।
18. विशेषाधिकारी, जन सम्पर्क, जविप्रा, जयपुर
19. रक्षित पत्रावली

सदस्य सचिव
एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)

परिशिष्ट 'अ'

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उपस्थिति पत्र

भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 132वीं बैठक दिनांक 14.03.2017 में उपस्थित अधिकारियों की सूचीः–

क्र.सं.	नाम अधिकारी मय पद	एल.पी.सी. में पद
1.	श्री वैभव गालरिया, आयुक्त	अध्यक्ष
2.	श्री पुरूषोत्तम बियाणी, सचिव	सदस्य
3.	श्री ललित शर्मा, निदेशक (अभियांत्रिकी–द्वितीय)	सदस्य
4.	श्रीमती लवंग शर्मा, निदेशक (आयोजना)	सदस्य
5.	श्री बृजेश किशोर शर्मा, कार्यवाहक निदेशक (वित्त)	सदस्य
6.	श्री ओ.पी. बुनकर, अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)	सदस्य सचिव
7.	श्री अनंत कुमावत, कार्यवाहक निदेशक (विधि)	विशेष आमंत्रित
8.	श्री नवल किशोर बैरवा, उपायुक्त जोन–2	विशेष आमंत्रित
9.	श्री राधे प्रताप सिंह, उपायुक्त जोन–4	विशेष आमंत्रित
10.	श्री मनोज कुमार, उपायुक्त जोन–5	विशेष आमंत्रित
11.	श्री अशोक कुमार चौधरी, उपायुक्त जोन–8	विशेष आमंत्रित
12.	श्री मधुसूदन पालीवाल, उपायुक्त जोन–9	विशेष आमंत्रित
13.	श्री रामनारायण बडगुर्जर, उपायुक्त जोन–10	विशेष आमंत्रित
14.	श्री देवेन्द्र कुमार जैन, उपायुक्त जोन–11	विशेष आमंत्रित
15.	श्री राजकुमार सिंह, उपायुक्त जोन–12	विशेष आमंत्रित
16.	श्री बीरबल सिंह, उपायुक्त जोन–13	विशेष आमंत्रित
17.	श्री सुरेन्द्र सिंह यादव, उपायुक्त जोन–14	विशेष आमंत्रित
18.	श्रीमती कनक जैन, तहसीलदार जोन–7	विशेष आमंत्रित
19.	श्रीमती उषा जैन, सलाहकार (जन सम्पर्क)	विशेष आमंत्रित